



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224047
CG-DL-E-31122020-224047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]
No. 568]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. एच.आर.डी./55/2016/आर.आर./प्र.अ.-ले.अ.(ई).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (प्रवर्तन अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी) (संशोधन) भर्ती नियम, 2009 तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी) (संशोधन) भर्ती नियम, 2015 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाने हेतु छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, (कर्मचारी भविष्य निधि), एतद्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी (गुप 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या इसका अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या इसका अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। :

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. ढील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति -

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | चयन पद अथवा गैरचयन पद |
|--------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी | 3072* *(2020) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय | ग्रुप 'ख', गैर-अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47,600-1,51,100 रुपये) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47,600-1,51,100 रुपये) में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर लेवल-9 वेतन मैट्रिक्स (53,100-1,67,800 रुपये) में गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन । | चयन पद |

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु-सीमा

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक

क्या सीधी भर्ती के

| | | |
|--|--|--|
| | तथा अन्य योग्यताएं | उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी |
| (6) | (7) | (8) |
| तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप 5 वर्ष तक की छूट) नोट : आयु-सीमा के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तिथि के अनुसार होगी। | आवश्यक : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि नोट : सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग विवेकानुसार योग्यता में छूट प्रदान कर सकता है, जिसके कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। | लागू नहीं |

| | |
|-------------------------------|---|
| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
| (9) | (10) |
| सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | (i) 60% पदोन्नति द्वारा, (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा |

| | | |
|--|--|---|
| पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (11) | (12) | (13) |
| पदोन्नति : संबंधित अंचल में कार्यरत अनुभाग पर्यवेक्षक जिन्होंने लेवल-7 में वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रूपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हों, तथा जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित (तैयार) दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। नोट 1 : जो व्यक्ति दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें पदोन्नति हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। नोट 2 : संबंधित अंचल से तात्पर्य अंचल के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य | (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं:- 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (आंचलिक कार्यालय) - सदस्य 3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से एक अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त निदेशक से कम न हो - सदस्य (स्थाईकरण के संबंध में विचार करने के लिए) ग्रुप 'ख' विभागीय स्थाईकरण समिति जिसमें शामिल हैं:- 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (आंचलिक कार्यालय) - सदस्य 3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से एक अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त निदेशक से कम न हो - सदस्य | सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता है। |

| | | |
|--|--|--|
| <p>निधि संगठन के सभी कार्यालय जो सामान्य वरिष्ठता सूची का रख रखाव करते हैं।</p> <p>नोट : 3 जहां कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों के नामों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा को पहले ही पूर्ण कर लिया है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p> | | |
|--|--|--|

सुनील बड़थवाल, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं

सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./427/20]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. HRD/55/2016/RR/EO-AO(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation (Enforcement Officer/ Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002, the Employees' Provident Fund Organisation (Enforcement Officer/Accounts Officer) (Amendment) Recruitment Rules, 2009 and the Employees' Provident Fund Organisation (Enforcement Officer/Accounts Officer) (Amendment) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board (Employees' Provident Fund), with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Enforcement Officer/ Accounts Officer in the Employees' Provident Fund Organisation, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Enforcement Officer / Accounts Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**- No Person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Government of India, Ministry of Labour and Employment and the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in pay matrix. | Whether selection post or Non-selection post |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Enforcement Officer/ Accounts Officer. | 3072* *(2020) subject to variation dependent on workload. | Group – 'B', Non-Ministerial. | Level-8 in the Pay Matrix (Rs.47,600 - 1,51,100). Non-functional upgradation in Level-9 in the Pay Matrix (Rs.53,100-1,67,800) on completion of four years of regular service in Level-8 in the pay matrix (Rs.47,600-1,51,100). | Selection. |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. |
|--|--|--|
| (6) | (7) | (8) |
| Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants and employees of Employees' Provident Fund Organisation up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission. | Essential: Bachelor's Degree in any subject from recognised university or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | Not Applicable. |

| Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|--------------------------------|--|
| (9) | (10) |
| Two years for direct recruits. | 60 per cent by promotion. 40 per cent by direct recruitment. |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|--|--|
| (11) | (12) | (13) |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Promotion: Section Supervisors with two years' regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900 - 1,42,400) serving in the respective Zone and possessing the minimum educational qualification of matriculation from a recognised board; and having successfully completed two to four weeks training as devised by Employees' Provident Fund Organisation.</p> <p>Note 1: Those persons who are due to retire within two years may be exempted from completion of such training for promotion.</p> <p>Note 2: Respective Zone means all offices of Employees' Provident Fund Organisation maintaining a common seniority list within the zone.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> | <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone)- Chairman; 2. Regional Provident Fund Commissioner-I (Zonal Office)- Member; 3. An officer of Employees' State Insurance Corporation in the region not below the rank of Joint Director- Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone)- Chairman; 2. Regional Provident Fund Commissioner-I (Zonal Office)- Member; 3. An officer of Employees' State Insurance Corporation in the region not below the rank of Joint Director-Member. | <p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p> |
|---|--|--|

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund
[ADVT.-III/4/Exty./427/20]